फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– पूसाराम पुत्र घीसाराम **बनाम** :–अप्रार्थीः–मीठालाल पुत्र घीसाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्रः– मु.नं. 126 / सन : 2022

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज II पटवार हल्का निमाज II तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1391 रकबा 5.0909 हैक्टर, ख.नं. 1394/1 रकबा 0.7770 हैक्टर, ख.नं. 1395/1 रकबा 0.9146 हैक्टर, ख.नं. 1408 रकबा 4.7267 हैक., ख.नं. 1409 रकबा 3.6584 हैक्टर, ख.नं. 1410 रकबा 0.8337 हैक., ख.नं. 1411 रकबा 2.6871 हैक., कुन रकबा 07 कुल रकबा 18.6884 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। वर्णित आराजी सभी खातेदारान की सामलाती हैं, प्रार्थी का संपूर्ण आराजी में 1/36 वॉ हिस्सा आता हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर कदीम से बंटवाड़ा हो रखा है। अपने अपने हक हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते हैं। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं ताकि अपने हिस्से की आराजी को उपजाउ बना सकें। अप्रार्थी सं. 01 मंदबुद्धि व आदतन शराबी व आदतन शराबी प्रवृति का व्यक्ति है तथा अविवाहित हैं जो लोगो के बहकावें व सिखावट में आकर प्रार्थी के हिस्से की उपजाउ भूमि को कभी भी प्रार्थी को बेदखल करवाकर बैचान रहन हस्तान्तरण कर सकता हैं। बिना बंटवाड़ा करवाये ही वादग्रस्त आराजी का बैचान रहन हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं, यदि बैचान कर दिया तो कब्जे को लेकर विवाद होगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी मे दखलदांजी, बेदखल नही करे, रहन बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सेपाबन्द किये जाने की ईस्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाज II पटवार हल्का निमाज II तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1391 रकबा 5.0909 हैक्टर, ख.नं. 1394/1 रकबा 0.7770 हैक्टर, ख.नं. 1395/1 रकबा 0.9146 हैक्टर, ख.नं. 1408 रकबा 4.7267 हैक., ख.नं. 1409 रकबा 3.6584 हैक्टर, ख.नं. 1410 रकबा 0.8337 हैक., ख.नं. 1411 रकबा 2.6871 हैक., कुन रकबा 07 कुल रकबा 18.6884 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 07.09..2022 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

7/9/22 अधिवक्ता मय प्रार्थी उप.
अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा हल्फनामा पेश कर कहा कि आवेदन नहीं चलाना चाहते हो जरिये Not Press खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible]

प्रार्थना पत्र आगे चलाना नहीं चाहते हैं।
पूसाराम
Id
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	Not Press करने से प्रार्थना आवेदन को निरस्त करते हुए प्रकरण खारिज किया जाता है। पश्चात फैसला शुमार रजिस्टर नम्बर के मद में लाने बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [illegible]
	[illegible]